

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था-2/ई/02/09/1036


भोपाल, दिनांक २/१/०९

:: आदेश ::

संचालनालय लोक शिक्षण के पदोन्नति आदेश क्रमांक स्था-2/स्था-2/21/बीईओ. पदो./2007-08/11/1679-80, दिनांक 01.10.08 के स.क्र.08 पर अंकित श्री भोला सिंह गोड़ प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय को विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नत करते हुये उनका पदांकन विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी शाहनगर जिला पन्ना किया गया था।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी शाहनगर पन्ना के स्थान पर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी गुन्नौर जिला पन्ना में पदस्थ किया जाता है।

“प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार”



लोक शिक्षण मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक २/१/०९

पृष्ठा. क्रमांक/स्था-2/ई/02/09/1037

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला पन्ना म.प्र.।
4. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय सागर म.प्र.।
5. जिला कोषालय अधिकारी जिला पन्ना, म.प्र.।
6. जिला शिक्षा अधिकारी जिला पन्ना की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित वि.ख.शि.अधि. को कार्यमुक्त करने के पूर्व संबंधित के अभिलेख से यह पुष्टि कर ले कि स्थानान्तरित विकास खण्ड के पद रिक्त है, तथा स्थानान्तरित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी की पदस्थापना जिस विकास खण्ड में की गई है, वह उनका गृह विकास खण्ड तो नहीं है। पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित अधिकारी के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
7. संबंधित कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी।
8. संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी की ओर सूचनार्थ।



लोक शिक्षण मध्य प्रदेश